न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-71/2023

राज्य

बनाम्

अन्सारूल हक

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1125/अप0शा0 दिनांक 23.05.2023 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बरवाडीह थाना काण्ड संख्या–40/2021 दिनांक 21.05.2021 से संबंधित है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 20.05.2021 को समय करीब 18:00 बजे अपराह्न में बरवाडीह थाना के गश्ती दल द्वारा केचकी नाका के समीप खड़ा बारह चक्का ट्रक रजि0 नं0–CG13L-8300 पर कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया। उक्त वाहन के चालक से प्राप्त कोयला खनिज का कागजात को जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को भेजकर JIMMS PORTAL पर ऑनलाईन सत्यापन कराया गया। जांचोपरान्त पाया गया कि ई–परिवहन चालान C42102449/15 दिनांक 19.05.2021 वैध पट्टेधारी मगध ओ0सी0पी0 मगध टण्डवा द्वारा निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 19.05.2021 को समय 09:58:18 PM से दिनांक 20.05.2021 को समय 01:58:15 PM तक है। उक्त ई–परिवहन चालान में ट्रक रजि0 नं0–CG13L-8300 में 25.07 MT कोयला खनिज के खरीददार

वर्द्धमान ट्रेडर्स रफिगंज, बाबुगंज, औरंगाबाद, बिहार एवं Place of Delivery of Material में औरंगाबाद बिहार अंकित है। उक्त वाहन दिनांक 20.05.2021 को समय 18:00 बजे परिवहन करते पाया गया, जिसके अनुसार ई–परिवहन चालान की वैधता समाप्त हो चुका था। माननीय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के वाहन मुक्ति आदेश दिनांक 08.11.2021 के आलोक में बरवाडीह थाना काण्ड संख्या–40/21 दिनांक 21.05.2021 में जप्त ट्रक रजि0 नं0–CG13L-8300, इंजन नं0–B591803231F63331923 एवं चेसिस नं0–MAT466388D2F06585 को दिनांक 23.11.2021 को मुक्त किया गया है। चूंकि अनुसंधान के क्रम में अवैध उत्खनन कर परिवहन करने का मामला नहीं पाया गया था। यह मामला निर्धारित जगह एवं ई–परिवहन चालान में अंकित समय की वैधता समाप्त होने से संबंधित है। उक्त आलोक में ट्रक रजि0 नं0–CG13L-8300 पर लदे लगभग 25 MT कोयला को राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ट्रक रजि0 नं0–CG13L-8300, इंजन नं0–B591803231F63331926 एवं चेसिस नं0–MAT466388DLF06585 के निबंधित स्वामी मो0 अन्सारूल हक, पिता–मो0 नसीमुल हक, ग्राम–ताबर, थाना–मेदिनीनगर, जिला–पलामू है। उत्तरवादी ट्रक संख्या–CG13L-8300 का निबंधित स्वामी है एवं वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज वैध एवं अद्यतन है। इसके पूर्व वाहन मालिक एवं वाहन के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं है। बरसात के चलते गाड़ी खराब होने कारण गाड़ी का पत्ती टूट गया था, जिसका मरम्मत करने में 4 घंटा लेट हो गया था। उक्त वाहन को सरईडीह, पोखरीकला के आफताब आलम के ईंट भट्ठा में कोयला गिराना था। वाहन को माननीय न्यायालय द्वारा पूरी जांच कर संतुष्ट होकर पर्याप्त प्रतिभूति बॉड लेने के उपरान्त मुक्त किया गया है। वाहन मालिक खान एवं खनिज अधिनियम तथा झारखण्ड लघु खनिज से संबंधित किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। इस प्रकार वाहन को खान एवं खनिज अधिनियम के अपराध में शामिल होना बताकर राजसात वाद प्रारम्भ किया जाना न्यायसंगत नहीं है वाहन मालिक इसके सिवाय कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है तथा इस गाड़ी से करीब 10 परिवार का पालन पोषण होता है। उक्त आलोक में वाहन का कागजात की जांच कर राजसात की प्रक्रिया

को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त तर्को एवं अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि ट्रक रजि० नं०–CG13L-8300 को कोयला परिवहन करते बरवाडीह थाना द्वारा दिनांक–20.05.2021 को पकड़े जाने के समय प्रस्तुत ई–परिवहन चालान C42102449/15 दिनांक 19.05.2021 वैध पट्टेधारी मगध ओ०सी०पी० मगध टण्डवा द्वारा निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 19.05.2021 को समय 09:58:18 PM से दिनांक 20.05.2021 को समय 01:58:15 PM तक है। उक्त ई–परिवहन चालान में 25.07 MT कोयला खनिज के खरीद्दार वर्द्धमान ट्रेडर्स रफीगंज, बाबुगंज, औरंगाबाद, बिहार एवं Place of Delivery of Material में औरंगाबाद बिहार अंकित है तथा उत्तरवादी द्वारा सरईडीह पोखरीकला के आफताब आलम के ईट भट्ठा में कोयला गिराने की बात कही गयी है, जो परस्पर विरोधाभाषी है। साथ हीं उत्तरवादी द्वारा मई माह में बरसात के कारण गाड़ी खराब होने एवं विलम्ब होने की बात कही गयी है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा वाहन को माननीय न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिये जाने के कारण केवल 25.07 MT कोयला खनिज का राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

अतः बरवाडीह थाना काण्ड संख्या–40/2021 दिनांक–21.05.2021 में जप्त 25.07 MT कोयला खनिज को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जप्त कोयले की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:29:34 +05:30
Location: 192.168.5.143